-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा कुल 07 अभियोगों से संबंधित माल का नियमानुसार निस्तारण करते हुए कराया गया विनष्टीकरण।**

विवरण- श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण के निर्देशन में आयुध अधिनियम के तहत पंजीकृत अभियोगों में बरामद अवैध चाकू एवं तमंचों के विनष्टीकरण/निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2026 को पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी सुश्री प्रीति तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री प्रवीण कुमार की उपस्थिति में थाना कालिंजर परिसर में आवश्यक विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विभिन्न अभियोगों में बरामद चाकू एवं तमंचों का विनष्टीकरण कराया गया। अभियान के तहत थाना कालिंजर में आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कुल 07 अभियोगों से संबंधित 02 चाकू एवं 05 तमंचों, कुल 07 अवैध शस्त्रों, को नियमानुसार विनष्ट किया गया।

नष्ट किए गए माल का विवरण-

1. मु0अ0सं0 94/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर।
2. मु0अ0सं0 168/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कालिंजर।
3. मु0अ0सं0 25/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कालिंजर।
4. मु0अ0सं0 63/02 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना कालिंजर।
5. मु0अ0सं0 21/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना कालिंजर।
6. मु0अ0सं0 54/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कालिंजर।
7. मु0अ0सं0 27/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कालिंजर।